न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्यामलाल शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 412/2015

वादी :-
मैसर्स रामगोपाल सीमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, 10- ए, अमर विजय कॉम्पलैक्स, होटल मानसिंह के पास, संसारचन्द्र रोड, जयपुर (राज०) जरीये बोर्ड रिजोल्युशन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता महेश पंवार पुत्र सोहनलाल पंवार

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. मैसर्स सालासर बालाजी सीमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड अमर विजय कॉम्पलैक्स, होटल मानसिंह पास, संसारचन्द्र रोड, जयपुर जिला जयपुर(राज.) जरीये उसके अधिकृत प्रतिनिधि रविन्द्र जैन पुत्र पी.सी. जैन।
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

तारीख रजू:.19.08.2015

उपस्थित:. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री करणाराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

दिनॉक:- 12/12/2015

-:: निर्णय ::-

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी कंपनी, कम्पनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पंजीकृत कंपनी है, जिसका क कॉपरेट पहचान नम्बर U26942RJ2008PTC026102 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 10-ए, अमर विजय कॉम्पलैक्स, होटल मानसिंह के पास, संसारचन्द्र रोड, जयपुर जिला जयपुर (राज०) में स्थित है। वादी कंपनी सीमेंट का निर्माण कर उसे तथा क्लींकर वेचने का व्यवसाय करती है, जरीये बोर्ड रिजोल्यूशन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता महेश पंवार पुत्र सोहनलाल पंवार अमर विजय कॉम्पलैक्स, होटल मानसिंह के पास, संसारचन्द्र रोड, जयपुर जिला-जयपुर वादी कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है तथा कंपनी के उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर मौजूदा वाद के तथ्यों से परिचित है तथा मौजूदा वाद प्रस्तुत करने, उसमें वकील नियुक्त करे, हस्ताक्षर करने, पैरवी करने, बयान देने इत्यादि सभी कार्यो को सम्पन्न करने हेतु सक्षम एवं अधिकृत है। ग्राम-सिनला, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित लाईम स्टोन खनन पट्टा संख्या ख.अ./सोजत/अप्र/एम एल-96/95 क्षैत्रफल 100 हैक्टर के बाबत दिनांक 19/11/2008 को मैसर्स श्रीनाथ मिनरल्स एण्ड केमीकल्स, 105 गरुधर केसरी अपार्टमेंट, मोहनपुरा जोधपुर जरिये भागीदारान, आनन्दसिंह पुत्र विजयसिंह निवासी-मेडतासिटी, बाबूलाल पुत्र देवीसिंह पुरोहित निवासी-हरसोलाव तहसील-मेडता एवं राजेश पुत्र कन्हैयालाल गुर्जर निवासी-हरसोलाव, तहसील-मेडता के नाम हस्तान्तरण संविदा दिनांक 31/03/2011 को निष्पादित किया, जिसका पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक, जैतारण के यहां दिनांक 01/04/2011 में खनन पट्टा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

96/95 के स्थान पर कुछ पन्ना पर 23/95 अंकित हो गया। इस बाबत उक्त पक्षकारान के मध्य पुनः दिनांक 17/06/2011 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन भी कार्यालय उपपंजीयक, जैतारण के यहां दिनांक 17/06/2011 को सम्पन्न हुआ। वादी कंपनी को खनन कार्य किये जाने हेतु लगभग 100 हैक्टेयर की माईनिंग लीज हस्तांरित की गयी थी तथा उक्त 100 हैक्टेयर भूमि एक खसरे में आवंटित नही की जाकर अलग अलग खसरो/भूमियों में आवंटित की गई थी। प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में भी ग्राम-सिनला, तहसील-जैतारण में एक खनन पट्टा संख्या ख.अ./रि.रो./सोजत/अ. प.एम./एल.81/94/54 दिनांक 06/03/1995 जारी हो रखा है। उक्त खनन पट्टे में प्रतिवादी नम्बर 1 कंपनी के पक्ष में केवल मात्र 5 हैक्टर भूमि की ही लीज आवंटित की गई है। प्रतिवादी नम्बर 1 कंपनी की उपरोक्त लीज (खनन पट्टा) एम.एल.नम्बर 81/94 पूर्व में रामगोपाल माली के नाम से आवंटित की गई थी। रामगोपाल माली द्वारा उपरोक्त लीज (खनन पट्टा) प्रतिवादी नम्बर 1 कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। इस कारण उक्त खनन पट्टे की लीज धारक वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 कंपनी चली आ रही है। प्रतिवादी नम्बर 1 कंपनी को जो 5 हैक्टर भूमि की लीज आवंटित की गई। वह अलग-अलग खसरा भूमियाँ में आवंटित की गई थी, जिसमें खसरा नम्बर 351 में मात्र 04 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसी ही भूमि आवंटित की गई थी तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 346, 348, 587, 590, 345, 347, 349 एवं 350 वाके ग्राम-सिनला, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में आवंटित की गई थी। वादी कंपनी को हस्तान्तरित 100 हैक्टेयर लीज में अन्य भूमियों के साथ भूमि खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 351 भी रकबा 117-14 बीघा किस्म गै0मु0मगरी सम्मिलित हैं। उपरोक्त खसरा की भूमि जिसका रकबा 117 बीघा 14 बिस्वा है, उक्त भूमि में से प्रतिवादी कंपनी को खसरा नम्बर 351/1 में मात्र 04 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसी की भूमि पर ही लीज एम0एल0नं0 81/94 आवंटित की गई थी तथा उक्त भूमि को कम किये जाने के पश्चात् जो शेष आराजी रकबा 113 बीघा 07 बिस्वा 06 बिस्वांसी शेष रहती है। उक्त संपूर्ण भूमि को वादी कंपनी को खनन कार्य किये जाने हेतु खनन विभाग द्वारा आवंटित किया गया था, उपरोक्त परिस्थितियों में यह पूर्णतया स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 351 में 113 बीघा 07 बिस्वा 06 बिस्वांसी भूमि वादी के नाम खनन कार्य किये जाने हेतु आवंटित की गई है। इस कारण राजस्व रेकार्ड में भी उक्त भूमि खनन किये जाने हेतु वादी कंपनी के नाम ही नामांतरकरण किया जाना आवश्यक था। प्रतिवादी नम्बर 01 को उपरोक्त खसरा नम्बर 351 में से उसका आंशिक भाग खसरा नम्बर 351/1 रकबा 31 बीघा भूमि को राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से जरिये नामांतरकरण संख्या 517 दिनांक 20/07/2002 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 कंपनी की लीज खनन पट्टा संख्या 81/94 को आधार मानकर नामांतकरण कर दिया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी की एम0एल0 नम्बर 81/94 में उक्त भूमि में खनन बाबत केवल मात्र 04 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसी का ही नामांतकरण किया जा सकता है तथा शेष रही भूमि वादी कम्पनी की लीज एरिया में आती है तथा नामांतकरण वादी कंपनी के नाम किया जाना आवश्यक है किन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती एवं लापरवाही की वजह से गलत रूप से प्रविवादी नम्बर 1 के नाम जारी खनन पट्टा 5 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण एक ही खसरा 351/1 में अंकित कर दिया गया है, जो कि गलत एवं सहवन से हो चुका है। वादी कंपनी को उक्त गलत अंकन की पूर्व में कोई जानकारी नही थी तथा वादी कंपनी द्वारा दिनांक 14/07/2015 को राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने पर उक्त गलत अंकन की जानकारी हुई। इस पर वादी कंपनी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

की ओर से दिनांक 11/08/2015 व दिनांक 17/08/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी के अधिकारियो से निवेदन किया कि वे उक्त गलत अंकन को दुरूस्त करवाते हुए सही अंकित कराई गई। भूमि का नामांतरकरण वादी कंपनी के नाम अंकित करवा देवे। किन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 कंपनी के अधिकारियों द्वारा इस हेतु इंकार कर दिया। इस पर वादी कंपनी की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 से भी राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया गया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी कंपनी से न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा गया। इस कारण इस वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। उक्त प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया हैं, जिनके विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हे धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है। किन्तु मौजूदा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध कोई आशुतोष नही चाहा गया है तथा मात्र राजस्व रेकार्ड की दुरूस्ती बाबत ही आशुतोष चाहा गया है। इस कारण नोटिस दिये जाने एवं दो माह तक इंतजार किये जाने की स्थिति में न्याय प्राप्ति में ही विलम्ब होगा। अतः नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है, उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में अब वादी कंपनी अपने पक्ष में उपरोक्त भूमि की खनन बाबत घोषणा करवाते हुए राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाने तथा इस हेतु माननीय न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। मौजूदा वाद का कारण माननीय न्यायालय के अधिकारक्षैत्र में वाद में विर्णित विभिन्न दिवसों का विशेष रूप में दिनांक 10/08/2015, 14/08/2015 को उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न होता जा रहा है। मौजूदा वाद पर नियमानुसार न्यायशुल्क अदा किया जा रहा है। मौजूदा वाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवण क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार वकील वादी ने वाद-पत्र मय दस्तावेजात पेश कर माफिक वाद-पत्र राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कराते हुए डिक्री किया जाने की ईश्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति0 को वास्ते जवावदावा तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1 की ओर से वकील रविन्द्र जैन व करणाराम चौधरी ने नियुक्त वकालतनामा पेश किया व प्रतिवाद-पत्र व काउन्टर क्लेम पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रति0 संख्या 1 को जो 5 हैक्टर भूमि आवंटित की गई हैं। वह किसी भी एक खसरे की भूमि में आवंटित नहीं की जाकर ख0नं0 351, 346, 348, 587, 589, 590, 345, 347, 349 व 350 में आवंटित की गई हैं तथा खसरा नम्बर 351 में मात्र 4 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि ही आवंटित की गई हैं। शेष भूमि वादी कम्पनी के नाम आवंटित की गई हैं। इस कारण शेष भूमि की लीजधारक वादी कम्पनी ही चली आ रही हैं तथा 04 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि की लीजधारक उत्तरकर्ता प्रतिवादी कम्पनी चली आ रही हैं। खसरा नम्बर 351 में 113 बीघा 07 बिस्वा 6 बिस्वांसी भूमि वादी कम्पनी की लीज पर होने का नामान्तरकरण वादी कम्पनी के पक्ष में किये जाने मे उत्तरकर्ता प्रतिवादी कम्पनी को किसी तरह की कोई आपति नहीं हैं तथा इसमें उत्तरकर्ता प्रतिवादी कम्पनी की पूर्ण सहमति हैं, किन्तु साथ ही राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाया जाकर उक्त भूमि खसरा नम्बर 351 में 04 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि की लीजधारक प्रतिवादी संख्या 1 कम्पनी होने से उसका नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 कम्पनी के हक में करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। चूँकि उत्तरकर्ता प्रतिवादी कम्पनी के पक्ष में खसरा नम्बर 351 में मात्र 04 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि ही खनन हेतु आवंटित की गई हैं, इस कारण उक्त क्षैत्रफल की भूमि का नामान्तरकरण ही उत्तरकर्ता प्रतिवादी कम्पनी के नाम राजस्व रेकर्ड में खोला जाना

उपखण्ड अधिकारी
सैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आवश्यक हैं। अतः जो अंकन राजस्व रेकर्ड में 31 बीघा भूमि का उत्तरकर्ता प्रतिवादी कम्पनी के नाम से किया गया है, वह गलत है। कानूनन भी उक्त अंकन पूर्ण रूप से दुरुस्त होने योग्य हैं। उत्तरकर्ता प्रतिवादी कम्पनी में मात्र 04 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि का ही नामान्तरकरण किया जाना न्यायोचित हैं। खसरा नम्बर 351 में 13 बीघा 07 बिस्वा 06 बिस्वांसी भूमि वादी कम्पनी की लीज पर होने का नामान्तरकरण वादी कम्पनी के पक्ष में किये जाने में उत्तरकर्ता प्रतिवादी कम्पनी को किसी तरह की कोई आपति नहीं हैं तथा इसमें प्रतिवादी कम्पनी की पूर्ण सहमति हैं। प्रति0 कम्पनी नं0 1 कम्पनी के पक्ष में विभिन्न भूमियों में खनन कार्य किये जाने की अनुमति प्रतिवादी कम्पनी के पक्ष में खनन पट्टा संख्या ख.अ./सि.रो/सोजत/अ.प्र./एम.एल. 81/94/54 दिनांक 06/03/1995 जारी हो रखा हैं। उक्त खनन पट्टे में प्रतिवादी नं0 कम्पनी की उक्त लीज (खनन पट्टा) एम0एल0 नं0 81/94 पूर्व में श्रीराम गोपाल के नाम से आवंटित की गई थी। श्रीराम गोपाल द्वारा उपरोक्त लीज प्रति0 नं0 1 कम्पनी को हस्तान्तरित किया जाना था। इस कारण उक्त खनन पट्टे की लीजधारक वर्तमान में प्रति0 संख्या 1 कम्पनी चली आ रही हैं।

प्रति0 संख्या 2 तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर ने जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम-सिणला, पटवार मण्डल-डिगरना में लाईम स्टोन खनन पट्टा संख्या ख.अ./सोजत/अ.प्र./एम.एल. 96/95 दिनांक 06/03/1995 से क्षेत्रफल 100 हैं। दिनांक 29/11/2008 में श्रीनाथ मिनरल्स एण्ड केमिकल्स 105 मरुधर केसरी अपार्टमेन्ट मोहनपुरा जोधपुर को हस्तान्तरण किया उक्त कम्पनी में वादी कम्पनी के हक में दिनांक 31/03/2011 को खनन पट्टा हस्तान्तरण संविदा निष्पादित कर पंजीयन उपपंजीयन जैतारण के कार्यालय मे दिनांक 01/04/2011 से सम्पन्न हुआ। उक्त पंजिबद्ध विलेख सम्पन करातें समय भूलवश खनन पट्टा संख्या 96/95 के स्थान पर 23/95 अंकित हो गया। इस शुद्धि हेतु पक्षकाराण के मध्य पुनः दिनांक 17/06/2011 को संविदा निष्पादित कर पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया। वादी कम्पनी के पक्ष में ग्राम सिणला के विभिन्न खसरा नम्बरान में 100 हैक्टर भूमि का खनन पट्टा धारित करती है। प्रति. कम्पनी के पक्ष में ग्राम सिणला में केवल मात्र 5 हैक्टर भूमि की लीज आवंटित हुई। यह लीज भूमि ग्राम सिणला के खसरा नम्बर 351 मे मात्र 4 बीघा 6 बिस्वा 14 बिस्वानी आंवंटित हुई, शेष भूमि ग्राम में अन्य खसरा नम्बरान से आवंटित की प्रतिवादी कम्पनी को पट्टा संख्या 81/94 मे ग्राम सिणला के ख.न.351 का आंशिक भाग 351/1 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा 14 बिस्वासी आवंटित था लेकिन भूलवश खसरा नम्बर 351/1 रकबा 31 बीघा का नामान्तकरण दर्ज होने से वादी कम्पनी को आवंटित भूमि रकबा 113 बीघा 7 बिस्वा 6 बिस्वासी भूमि हस्तांतरित नही हो सकती है। तदनुसार खनन पट्टा संख्या 81/94 व 95/96 की पालना प्रतिवादी कम्पनी एवं वादी कम्पनी में मध्य विधि अनुसार करवायी जाकर समस्त रेकर्ड को शुद्ध करवाया जाना उचित है। वकील वादी काउन्टर क्लेन का जवाब पेश नही करना चाहते है जवाब का क्लेम बंद किया जाता है।

पत्रावली मय प्रस्तुत वाद पत्र, शपथ-पत्र एवं प्रति.संख्या 1 का काउन्टर क्लेम एवं प्रति संख्या 2 का जवाब दावा का गहन से अध्ययन कर गौर किया गया. चूंकि काउन्टर क्लेम में प्रति. कम्पनी ने स्वीकार संविदा की है कि ग्राम सिणला में प्रति. कम्पनी के पक्ष खनन पट्टा संख्या ख.अ./सि.रो./सोजत/अ.प्र./एफ.एल/81/94/54 दिनांक 06/3/1995 को हैक्टर भूमि आवंटित की गई व अलग-अलग खसरा भूमियों में आवंटित की गई थी जिसमें ख.न. 351 में मात्र 04 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वासी ही

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

भूमि आंवटित की गई थी तथा शेष भूमि ख.न.346, 348, 587, 589, 590, 345, 347,349 एवं 350 वाके ग्राम सिणला तहसील जैतारण में आंवटित की गई थी। इस ...न का अंकन एवं नामान्तकरण भी राजस्व रेकार्ड में कराया जाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। वादी एवं प्रतिवादी मय वकुलाय द्वारा सुलहनामा / राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि पक्षकारान् के मध्य सुलहनामा हो चुका है तथा उक्त प्रकरण में वादी का वाद एवं प्रति0 कम्पनी 1 का काउन्टर क्लेम अनुसार वाद डिक्री फरमाते हुए राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त फरमाने का निवेदन किया है। बाद राजीनामा तस्दीक कर आ0मि0 किया गया।

बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अतः ग्राम सिणला, पटवार मण्डल-डिगरना के खसरा नम्बर 351 रकबा 117 बीघा 14 बिस्वा भूमि में राजस्व विभाग द्वारा सद्भाविक भूल से प्रतिवादी कम्पनी एक को जरिये नामानतरकरण संख्या 517 दिनांक 20/07/2002 द्वारा 31 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई। जबकि प्रतिवादी कम्पनी एक को मात्र उक्त खसरा नम्बर में 04 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वासी ही आवंटित हुई। इसलिये उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया जाना एवं उक्त ख.नं. में प्रतिवादी कम्पनी एक को 4 बीघा 6 बिस्वा 14 बिस्वासी को लीजधारक घोषित किया जाना एवं वादी कम्पनी को उक्त शेष भूमि में लाईम स्टोन खनन पट्टा सं.ख.अ. सोजत/अ.प्र./एम एल-96/95 दिनांक 19/11/2008 द्वारा आवंटन होने से 113 बीघा 07 बिस्वा 06 बिस्वासी का लीजधारक घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी के इस अमर की सादिर की जाती है कि ग्राम-सिणला, पटवार मण्डल-डिगरना, तहसील-जैतारण के ख.नं. 351 रकबा 113 बीघा 7 बिस्वा 6 बिस्वासी भूमि का लाईम स्टोन खनन पट्टा सं.ख.अ./सोजत/अ.प्र./एम एल-96/95 दिनांक 19/11/2008 द्वारा आवंटन होने से लीजधारक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी कम्पनी एक के पक्ष में पारित नामानतरकरण संख्या 517 दिनांक 20/07/2002 को खारिज किया जाता हैं एवं प्रतिवादी कम्पनी 1 को खनन पट्टा संख्या ख.अ./रि.रो/सोजत/अ.प्र.एफ.एल./81/94/54 दिनांक 06/03/95 अनुसार आवंटित भूमि ख.नं. 351, 346, 348, 587, 589. 590, 345, 347, 349 एवं 350 को जरिये रेकर्ड दुरुस्ती के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफतर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/12/2015 को खुले ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

डी :-

मैसर्स रामगोपाल सीमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, 10- ए, अमर विजय कॉम्पलैक्स, होटल मानसिंह के पास, संसारचन्द्र रोड, जयपुर (राज0) जरीये बोर्ड रिजोल्युशन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता महेश पंवार पुत्र सोहनलाल पंवार

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मैसर्स सालासर बालाजी सीमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड अमर विजय कॉम्पलैक्स, होटल मानसिंह पारा, संसारचन्द्र रोड, जयपुर जिला जयपुर(राज.) जरीये उसके अधिकृत प्रतिनिधि रविन्द्र जैन पुत्र पी.सी. जैन।
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

जस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 जस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:412/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व जरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री करणाराम चौधरी, धिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी ा वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी के इस अमर की ादिर की जाती है कि ग्राम-सिणला, पटवार मण्डल-डिगरना, तहसील-जैतारण के ख.नं. 51 रकबा 113 बीघा 7 बिस्वा 6 बिस्वासी भूमि का लाईम स्टोन खनन पट्टा सं.ख. ा./सोजत/अ.प्र./एम एल-96/95 दिनांक 19/11/2008 द्वारा आवंटन होने से लीजधारक ोषित किया जाता है। प्रतिवादी कम्पनी एक के पक्ष में पारित नामानतरकरण संख्या 17 दिनांक 20/07/2002 को खारिज किया जाता हैं एवं प्रतिवादी कम्पनी 1 को नन पट्टा संख्या ख.अ./सि.रो/सोजत/अ.प्र.एफ.एल./81/94/54 दिनांक 06/03/95 नुसार आवंटित भूमि ख.नं. 351, 346, 348, 587, 589, 590, 345, 347, 49 एवं 350 को जरिये रेकर्ड दुरुस्ती के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। त्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल फ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/12/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	01	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	03	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	07	00	मिजानः-	01	00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, वहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner